

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड ४

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] No. 207] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/VAISAKHA 29, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2016

फा. सं. एफ.1-63/एफ एस एस ए आई/टी आर. कारबार एस सी और एस पी/रिजि. 2015.—कितिपय विनियम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाने का प्रस्ताव करती है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 15 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त उपधारा (1) की यथा अपेक्षित प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा:

आक्षेप या सुझाव जो उक्त प्रारुप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के समाप्त होने के पहले प्राप्त होते हैं, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड नई दिल्ली- 110002 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप विनियम

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं.-
 - (क) "अधिनियम" से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है ;

2530 GI/2016 (1)

- (ख) "अध्यक्ष" से वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष जैसा संदर्भ के लिए उपबंधित है, अभिप्रेत है ;
- (ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (घ) "खाद्य प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
- (इ.) "आमंत्रित" से एक विषय-वस्तु विशेषज्ञ, जो विषय पर उसके ज्ञान को साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है और ऐसे आमंत्रण के परिसीमित प्रयोजन के पूर्ण होने पर उसकी वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के साथ सहयोजन जारी रहना समाप्त हो गया है;
- (च) "सदस्य" से वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित है;
- (छ) वैज्ञानिक समिति" से अधिनियम की धारा 14 के अधीन खाद्य प्राधिकरण गठित वैज्ञानिक समिति अभिप्रेत है ;
- (ज) "वैज्ञानिक राय" से वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल द्वारा दिये गए जोखिम निर्धारण पर आधारित वैज्ञानिक निर्गम अभिप्रेत है ;
- (झ) "वैज्ञानिक पैनल" से अधिनियम की धारा 13 के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित वैज्ञानिक पैनल अभिप्रेत है ;
- (ञ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।
- 3. वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि.-
 - (1) खाद्य प्राधिकरण वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उच्च स्तरीय सामूहिक वैज्ञानिक समक्षता और विशेषज्ञता सुनिश्चित करेगा तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि समिति या पैनलों का गठन ऐसी वैज्ञानिक विशेषज्ञता की आज्ञा को पूरी करने के क्रम में भारत में वैज्ञानिक समस्याओं और पद्धतियों की विविधताएं प्रतिबिम्बित करे ।
 - (2) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की अवधि उनके गठन की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी।
 - (3) 🛾 कोई सदस्य समान पैनल के लिए दो से अधिक क्रमवर्ती अवधियों के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
 - (4) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल में इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् परंतु ऐसी अवधि की समाप्ति के पहले नियुक्त किए गए सदस्य की पदाविध ऐसा सदस्य शेष अविध के लिए ऐसी सिमिति या पैनल का सदस्य बना रहेगा। ऐसी निरन्तरता को बनाये रखने के क्रम में वह उप-विनियम (3) के अध्ययधीन रहते हए नयी अविध के लिए पुनः नियुक्ति के योग्य होगा।
 - (5) प्रत्येक वैज्ञानिक पैनल में यथा अपेक्षित सदस्य होंगे परंतु एक पैनल की कुल संख्या ग्यारह से अधिक नहीं होगा।
- 4. कार्य समूह.- (1) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों से मिलकर बने कार्य समूहों का सृजन कर सकेगी और ऐसी संख्या में बाह्य विशेषज्ञ भी विशिष्टतः, ऐसे विषयों की दशा में जो किसी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता में नहीं आते या ऐसे बहु-त्रिज्य विवाधक जो एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता में आते है पर सम्मिलित किए जा सकेंगे। ऐसे कार्य समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर गठित किए जा सकेंगे:

परंतु वैज्ञानिक समिति कार्य समूह के अध्यक्ष को भी नामनिर्दिष्ट या नियुक्त करेगी:

परंतु यह और कि कार्य समूह में बाह्य विशेषज्ञों की संख्या, कार्य समूह के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

- (2) वैज्ञानिक समिति कार्य समूहों को ऐसे कार्य सौंपेगी जो उनकी अवधि के सन्दर्भ में जिसके अन्तर्गत समय सीमा जिसमें ऐसे कार्य पूरे किए जाने हैं, के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे।
- (3) वैज्ञानिक समिति कार्य समूहों के कार्यकरण के साथ समन्वय करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समनुदेशित कार्य विनिर्दिष्ट समय सीमा में पूरे किए जाएं।
- (4) कार्य समूह वैज्ञानिक समिति को रिपोर्ट करेंगे और उसकी अध्यक्षता वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

- (5) कार्य समृह उस कार्य जिसके लिए वे बनाये गए थे के पूरा होने पर कार्य करना बंद कर देंगे।
- 5. **बाह्य विशेषज्ञ.-** वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल बाह्य विशेषज्ञ जो अभिज्ञात कार्य, विवाधक या कार्य सूची मद के लिए सुसंगत विशेषज्ञ ज्ञान रखते हो को आमंत्रित कर सकेगी और वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष खाद्य प्राधिकरण में रखी गयी विशेषज्ञों की सूची या पूल में से या अन्य सदस्यों के साथ अपेक्षित सक्षमता के लिए परामर्श खोज करने के पश्चात् बाह्य विशेषज्ञ अभिज्ञात कर सकेगा।
- **6. रिपोर्टर.-** (1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल या कार्य समूह, समिति या पैनल या कार्य समूह के अध्यक्ष, जो विनिर्दिष्ट समय अविध में निम्नलिखित तैयार करेगा, अर्थातु:-
 - (i) तकनीकी कार्य सूची पर विचार विमर्श के परिणाम का अभिलेख ; और
 - (ii)अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप में दी गई विशेषज्ञ राय, के अनुमोदन से उनके सदस्यों में से रिपोर्टर पदाभिहित करेगा।
- (2) जैसे ही वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल रिपोर्ट या राय स्वाकीर करते हैं रिपोर्टर का कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।
- 7. **दायित्वों का प्रत्यायोजन.-** वैज्ञानिक समिति और प्रत्येक वैज्ञानिक पैनल अपने में से एक अध्यक्ष को निर्वाचित करेंगे या चुनेंगे। यदि वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष अपने कृत्यों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो ऐसा अध्यक्ष सर्वसम्मित से अन्य सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा जो उसके पश्चात् ऐसी वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष के कृत्यों का पालन करेगा।
- 8. वैज्ञानिक सलाह के लिए अनुरोध.— (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल से निम्नलिखित रीति में वैज्ञानिक राय के लिए अनुरोध करेगा, अर्थात्:-
 - (i) बहु-त्रिज्य विवाधकों जो एक से अधिक पैनल की सक्षमता के भीतर आते हैं और विवाद्यक जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल, वैज्ञानिक समिति की सक्षमता के भीतर नहीं आते के कार्यों के लिए।
 - (ii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित किए गये विद्यमान या नये वैज्ञानिक पैनल को आदेशित कार्यों के लिए ।
 - (iii) वैज्ञानिक समिति प्रक्रियाओं, प्रणाली विज्ञान और ऐसे मामलों जो वैज्ञानिक पैनलों के वैज्ञानिक निर्गम को सुव्यवस्थित पहुंच और निरन्तरता प्रदान करते हैं पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध भी कर सकेगी ।
- 9. वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का बैठक.- (1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल, अभिज्ञात कार्यों की संख्या के ऊपर निर्भर रहते हुए उनके संबंधित अध्यक्षों के साथ परामर्श करके आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए उनकी बैठकों की अनुसूची बनाएंगे।
- (2) जब वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की बैठक पूर्व बैठक के समय ही अनुसूचित नहीं की गयी है, तब, समिति या पैनल की बैठक के लिए सदस्यों को बैठक की तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।
- (3) बैठक को रद्द करने की सूचना, चाहे पहले ही से अनुसूचित हो या अन्यथा, बैठक की तारीख से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व दी जाएगी।
- (4) अत्यावश्यकता की दशा में, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनलों की बैठक संबंद्घ अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से अल्पकालिक सूचना पर बुलायी जा सकेगी।
- 10. कार्य तक पहुंच और पूर्विकताकरण.- (1) वैज्ञानिक सिमिति या वैज्ञानिक पैनल बैठक में प्रथमतः किसी विशिष्ट कार्य सूची में अन्तवर्लित कार्यों को अभिनिश्चित करेगी और विभिन्न सदस्यों के बीच व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, ऐसे कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा के साथ, कार्यों का समनुदेशन करेगी और ऐसे कार्यों में अभिज्ञात और समनुदेशित कार्यों के लिए अपेक्षित जोखिम निर्धारण के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य से संबंधित, सुसंगत अनुसंधान, प्रकाशित अद्यययन या साहित्य और वैज्ञानिक राय सम्मिलित होगी।
 - (2) जैसा कि अधिनियम में उपबंधित है, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल उसकी आरम्भिक बैठक में संबंद्घ उद्योग और उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों को वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण का अवसर प्रदान करेंगे और उनके द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साहित्य को अपनी राय बनाने में परामर्श के लिए अभिलेख पर लेगा और ऐसे प्रतिनिधि समिति या पैनल के विनिश्चय करने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकेंगे।

- 11. गणपूर्ति और सर्वसम्मित.- (1) वैज्ञानिक सिमिति या वैज्ञानिक पैनल अथवा कार्य समूह की किसी बैठक में कोई कारबार सम्पादित नहीं किया जाएगा जब तक उसके एक तिहाई सदस्य जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक सिमिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष भी है उपस्थित न हो । इस प्रकार संयोजित बैठक में अध्यक्ष के किसी कारण, जो चाहे कोई भी हो, उपस्थित होने में असमर्थ रहने की दशा में, उस विशिष्ट बैठक और कारबार के सम्पादन के लिए उनमें से उपस्थित सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकेगा ।
- (2) यदि किसी समय, किसी बैठक में सदस्यों की संख्या उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या से कम है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति आस्थिगित बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना सदस्यों को देने के पश्चात् बैठक को आस्थिगित कर देगा और तत्पश्चात् ऐसी आस्थिगित बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के लिए, उपस्थित सदस्यों की संख्या को विचार में लाये बिना मूल बैठक के सम्पादन के आशय से कारबार का निपटान करना विधिमान्य होगा।
- (3) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल यदि किसी विवाद्यक पर सर्वसम्मिति न हो सके, बहुमत की राय अंगीकार करेंगे।
- **12. कार्यसूची.-** (1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की बैठकों की प्रारूप कार्यसूची सचिवालय द्वारा तैयार की जाएगी और बैठक के कम से कम दस कार्य दिवसों पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी।
 - (2) कार्यसूची बैठक के आरंम्भ में पूर्विकृत और अंगीकृत् की जाएगी और कोई कारबार जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है,अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की किसी बैठक में संव्यवहार नहीं किया जाएगा।
 - (3) कोई संबंध अत्यावश्यक प्रश्न या विवाधक बैठक की समाप्ति से पहले किसी भी समय अध्यक्ष की अनुज्ञा से अभिज्ञात या सम्मिलित किया जा सकेगा और कार्यसुची उस परिमाण तक उपांतरित समझी जाएगी और विचार विमर्श के लिए अग्रेषित की जाएगी ।
 - (4) जहां कहीं संभव हो, दस्तावेजें जिनके अन्तर्गत रिपोर्टर या बाह्य विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और प्रारुप रायें भी हैं, बैठक से एस सप्ताह पहले सदस्यों और बाह्य विशेषज्ञो को उपलब्ध कारयी जाएगी।
 - (5) वैज्ञानिक राय परिदान करने की समय-सीमा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाएगी।
 - (6) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल या कार्यसमूहों के अध्यक्ष सदस्यों के मध्य इलैक्ट्रानिक रीति को प्राथमिक कार्य रीति के रुप में, कार्यसूची से संबंधित ई-मेल के विनियम, दस्तावेजों के परिचालन, समनुदेशित कार्यों से संबंधित मामलों पर सर्वसम्मति निर्मित करके, प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करेगा और ऐसा विनियमन संव्यवहार के अभिलेखों के प्रायोजन के लिए विधिमान्य होगा।
- **13. उभरते हुए विवाद्यक.-** (1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी का ध्यान, उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले विनिर्दिष्ट या उभरते हुए विविद्यक जो उपभोगता के स्वास्थ्य के लिए आसन्न या सम्भावित जोखिम प्रस्तुत कर सकने वाला समझा जाता है खींच सकेगें।
 - (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जाने वाली कारवाई जिसके अन्तर्गत, यदि अपेक्षित हो, मामलें पर वैज्ञानिक राय या रिपोर्ट के लिए अनुरोध करना भी है, अवधारित करेगा, ऐसी किसी दशा में, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल इस मामले में किए गए विनिश्चय को सुचित करेंगे।
 - (3) जहां वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल द्वारा वैज्ञानिक राय दी गई है जो कोई अनाशयित या अवधान लोप समाविष्ट कर सकती है और वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के किसी सदस्य के ज्ञान में उसे अन्तिम प्रभाव दिए जाने से पहले किसी प्रक्रम आता है, संबंधित सदस्य उसके संप्रेक्षणों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संसूचित करेगा, जो मामले को संबंधित वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल को उसके पुनर्विचार और समाधान के लिए पुनः निर्देशित करेगा।
- **14. बैठकों में पहुंचना जिसके अन्तर्गत तकनीकी सुनवाई भी है.-** (1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष खाद्य प्राधिकरण के किन्ही अधिकारियों या प्रतिनिधियों को इसकी बैठकों में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। यदि इस प्रकार आमंत्रित किया जाता है, वे स्पष्टीकरण या सूचना के प्रयोजन के लिए सहायता कर सकेंगे लेकिन विनिश्चय को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- (2) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल व्यष्टियों, अर्जीदारों या अन्य पणाधारी प्रतिनिधियों के साथ वैज्ञानिक सुनवाई यदि निम्नलिखित रीति में वैज्ञानिक राय की संपुर्ति के लिए आवश्यक समझे, आयोजित कर सकेगा, अर्थात
 - (i) सुनवाई प्रारूप कार्यसुची या बैठक जिसमें ऐसी सुनवाई की जाती है की कार्यसुची में स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगी।
 - (ii) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल ऐसी सनवाई के दौरान कोई विनिश्चय नहीं लेगा ।

- **15. परिचालन द्वारा कारबार.** (1) अत्यावश्यक मामले की दशा में और जहां परिस्थितियां बैठक में चर्चा अनुज्ञात या अपेक्षित नहीं करती या यदि वैज्ञानिक समिति अथवा वैज्ञानिक पैनल जैसा भी मामला हो, का अध्यक्ष इस प्रकार निर्देश करे, एक प्रारुप राय या कथन उसके सदस्यों को पेपर द्वारा इलैक्टानिक रुप से या भौतिक रुप से निर्दिष्ट की जा सकेगी।
 - (2) उपविनियम (1) के अधीन परिचालित कोई प्रस्ताव या प्रारुप राय, यथास्थिति, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों के एक तिहाई द्वारा अनुमोदित किए जाने पर उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकर होगी मानों ऐसा प्रस्ताव या प्रारुप राय या कथन बैठक में सदस्यों के बहमत द्वारा विनिश्चित किया गया था।
 - (3) यदि उपविनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट प्रस्ताव या प्रारुप राय या कथन अनुमोदित नहीं होता है तो उसे वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की आगामी बैठक में कार्यसूची में रखा जाएगा।
 - (4) इस विनियम के अधीन परिचालित प्रत्येक प्रस्ताव या प्रारूप राय या कथन और ऐसे परिचालन का परिणाम आगामी बैठक के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जाएगा।
- **16. त्वरित प्रक्रियाएं.-** (1) इस मामले में उत्तर या तो वैज्ञानिक समिति या सुसंगत वैज्ञानिक पैनल द्वारा अंगीकृत खाद्य प्राधिकरण द्वारा कथन या राय का रूप ले सकता है, कथन या राय का विकास और अंगीकरण, यथास्थिति, वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल द्वारा यथासंभव मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निदेश के अधीन प्रतिनिर्देश के निबंधनों के अनुसरण में और प्रश्न के उत्तर के लिए आबंटित सीमित समय के ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- (2) यथास्थिति, वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष को प्रश्न और प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा तथा उपविनियम (1) के अधीन कथन को अंतिम रुप देने से पूर्व वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति से विशेषज्ञ या किसी बाह्य विशेषज्ञ से परामर्श किया जाएगा।
- **17. वैज्ञानिक रायों का अंगीकरण.-** (1) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल वैज्ञानिक रायों या विनियम 16 या विनियम 17 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को अपनी पूर्ण बैठकों में अंगीकृत करेंगे।
 - (2) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल खाद्य प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रकाशित करने के लिए प्रारंभिक राय अंगीकृत कर सकेंगे उसमें किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वैज्ञानिक टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और जिस पर अंतिम राय बनाने से पूर्व प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा।
 - (3) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल की रायों में कोई अल्पमत राय सम्मिलित हो सकेगी।
- **18.** वैज्ञानिक सिमिति या वैज्ञानिक पैनल का सिचवालय.- (1) खाद्य प्राधिकरण का कार्यालय, अधिनियम की धारा 10 के खंड (घ) के अनुसरण में, वैज्ञानिक सिमिति या वैज्ञानिक पैनलों के प्रभावी कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा । सिचवालय के विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य में निम्नलिखित सिम्मिलित होंगे लेकिन वे इन तक ही सीमित नहीं होगे, अर्थात:-
 - (i) खाद्य प्राधिकरण के स्त्रोंतों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करना और प्राथमिकताओं तथा समय सीमा को पूरा करने की योजना बनाना ;
 - (ii) पृच्छाओं या वैज्ञानिक रायों के विधायन या नीतिगत पहलुओं पर सूचना प्रदान करना ;
 - (iii) प्रारूप कार्य सूची जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों या कार्य समूहों के लिए पृष्ठभूमि सूचना और बैठक के कार्यवृत्त भी है, संबंधित अध्यक्ष के साथ परामर्श करके तैयार करना ;
 - (iv) बैठक के कार्यवृत्त में सम्मिलित होगा:
 - (क) भाग लेने वालों की सूची
 - (ख) लिये गये विनिश्चयों और अंगीकृत रायों का अभिलेख
 - (2) कार्यवृत्त उनके अंगीकरण के पश्चात् खाद्य प्राधिकरण का वेबसाईट पर पोस्ट किए जाएगें।
- 19. गोपनीयता.- (1) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों और कार्य समूहों के सदस्यों और कार्य समूहों के भागीदारी करने वाले या प्रेक्षकों के रूप में कार्य करने वाले बाह्य विशषज्ञों द्वारा किसी तीसरे पक्षकार को खाद्य प्राधिकरण द्वारा "निर्बंधित या गोपनीय" के रूप में विशिष्ट रूप से चिन्हित कोई सुचना नहीं दी जाएगी।

- (2) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों और कार्य समूहों के सदस्यों और कार्य समूहों के भाग लेने वाले या प्रेक्षकों के रूप में कार्य करने वाले बाह्य विशेषज्ञ अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्टघोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (3) वैज्ञानिक सिमिति, वैज्ञानिक पैनलों और कार्य समूहों के सदस्यों और कार्य समूहों के भाग लेने वाले या प्रेक्षकों के रुप में कार्य करने वाले बाह्य विशेषज्ञ उनके कर्तव्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी वृत्तिक गोपनीयता के दायित्व के अंतर्गत आने वाली किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- 21. प्रतिस्थापन.- वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्य को खाद्य प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों या कार्य समूहों के कार्य में प्रभावी योगदान नहीं करने के लिए या तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने के लिए अथवा ऐसे कार्य जो खाद्य प्राधिकरण के हितों या निबंधनों और शर्तों के विरोध में है, कि लिए हटाया या बदला जा सकेगा। यदि कोई सदस्य पद त्याग करना चाहता है खाद्य प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रस्ताव पर कार्य करते हुए आरक्षित सूची यदि कोई खाद्य प्राधिकरण द्वारा रखी गई है, में से प्रतिस्थापन की नियुक्ति कर सकेगा।
- **22. सम्मेलन.** किसी विषय पर वैज्ञानिक राय प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष प्रासंगिक विवाधक या विषय पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रस्ताव, बजट के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा, जो ऐसे प्रस्ताव को अधिकतम पचास लाख के बजट के साथ अनुमोदित कर सकेगा तथापि, यह रकम प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पुर्नविलोकित की जा सकेग।
- 23. व्ययों की प्रतिपूर्ति और बैठक फीस.- (1) वैज्ञानिक समिति, पैनलों, कार्यसमूहों या रिपोटरों की बैठकों के संबंध में सदस्यों या बाह्य विशेषज्ञों अथवा रिपोर्टरों द्वारा वहन किए गए यात्रा और निर्वहन व्ययों की प्रतिपूर्ति इन विनियमों के अनुसरण में खाद्य प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।
 - (2) वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों, कार्य समूहों या बाह्य विशेषज्ञों को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक दिवस या उसके भाग के लिए चार हजार रुपये बैठक फीस संदत्त की जाएगी।
 - (3) वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल या कार्यसमूह के रिपोर्टर सदस्य को बैठक में उपस्थित होकर रिपोर्टर के रूप में कर्तव्य के निर्वहन के लिए प्रत्येक दिवस या उसके भाग के लिए दो हजार रुपये का अतिरिक्त मानदेय संदत्त किया जाएगा।

अनुसूची 1

[विनियम 19(2) देखिये]

गोपनीयता संबंधी घोषणा

नाम :
पद:
[] खाद्य प्राधिकरण का सदस्य
[]केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य
[]वैज्ञानिक समिति का सदस्य
[]पर पैनल का सदस्य
[]पर कार्यसमूह का सदस्य
[]पर अन्य विशेषज्ञ (बाह्य)
मैं घोषणा करता हूं कि गोपनीयता से संबंधित बाध्यता मुझे ज्ञात है। मैं यह जानता हूं कि यदि सूचना गोपनीयता का सम्मान करने के अध्यधीन है तो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में मेरे क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप अर्जित जानकारी प्रकट न करने के प्रति बाध्यकर हूं और मैं ऐसी किसी गोपनीय जानकारी प्रकट न करने का प्रतिज्ञा करता हूं। मैं ऊपर वर्णित निकायों के अन्य सदस्यों या अन्य विशेषज्ञों द्वारा बैठकों के दौरान विचार की गई या लिखित रुप में प्रदान की गई रायों की गोपनीय प्रकृति का भी सम्मान करुंगा।
तारीखपर किया गया ।
हस्ताक्षर

अनुसूची 2

[विनियम 20 (1) देखिये]

प्रतिबद्धता की घोषणा

<u>उपाबंध - 1</u>
नाम :
पद:
[] खाद्य प्राधिकरण का सदस्य
[]केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य
[[वैज्ञानिक समिति का सदस्य
[]पर पैनल का सदस्य
[]पर कार्यसमूह का सदस्य
[]पर अन्य विशेषज्ञ (बाह्य)
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने वाली खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 वे अनुसरण में, मैं खाद्य प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने और भाग लेने के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करने और किर्स बाहरी प्रभाव से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रुप से और लोकहित में कार्य करने का प्रतिज्ञान करता हूं ।
तारीखपर किया गया ।
हस्ताक्षर
अनुसूची 2
[विनियम 20 (1) देखिये]
हित की वार्षिक घोषणा
<u>उपबंध - 2</u>
(कृपया नोट करें कि पूर्व अनुभव के आधार पर प्रकृति द्वारा वैज्ञानिक दक्षता की उच्च क्वालिटी है और इसलिए हितबद्ध होने का अर्थ आवश्यक रुप से हितों का टकराव नहीं है)
नाम :
पद:
[] खाद्य प्राधिकरण का सदस्य
n > 0 00
[] केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य
[] केन्द्राय सलाहकार सामात का सदस्य[] वैज्ञानिक समिति का सदस्य
•

प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों पर जानकारी

[].....पर अन्य विशेषज्ञ (बाह्य)

(1) प्रत्यक्ष हित (उदाहरण के लिए नियोजन, संविदा कार्य, निवेशों, फीस आदि से उदभूत होने वाले वित्तीय लाभ)
(2) अप्रत्यक्ष हित (अप्रत्यक्ष वित्तीय उदाहरण के लिए अनुदान, प्रायोजन या अन्य प्रकार के लाभ)
(3) सदस्य और उसके निकटवर्ती पारिवारिक सदस्यों की वृत्तिक गतिविधियों से व्युत्पन्न हित
(4) प्राधिकरण के कार्यकरण में हित के साथ संगठनों/निकायों/क्लब में कोई सदस्यता भूमिका या सहबद्धता ।
(5) अन्य हित या तथ्य जिन्हें अधोहस्ताक्षरी संबंध समझे
घोषणा : मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है ।
ारीखपर किया गया ।
हस्ताक्षर
(जहां कहीं अपेक्षित कृपया अतिरिक्त पृष्ट संलग्न करें)
(. 6

हित की वार्षिक घोषणा के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

- (1) स्टाक और शेयर, इक्विटी, बांडधारण करने, खाद्य प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत भागीदारी या संपत्ति हितों समेत कोई वित्तीय हित या लाभ । सदस्यता से पूर्व संविदा की गई पेंशन या निवेश स्कीम से संबंधित वित्तीय हित और या यूनिट ट्रस्ट या वैसे ही ठहरावों में हित सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट हित के नही होंगे परंतु सदस्य का वित्तीय प्रबंध पर कोई प्रभाव न हो ।
- (2) खाद्य प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में वृत्तिक अनुभव । इसमें नियमित या यदा-कदा पारिश्रमिक वाली गतिविधियों को विचार किए बिना सभी कार्य सम्मिलित होने चाहिए (बोर्ड सदस्यता, कार्यकारी या गैर कार्यकारी निदेशकता, नियोजन, परामर्श संविदात्मक हित और प्रशिक्षुता)।
- (3) खाद्य प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत, सदस्य के हितों वाली भूतकालीन या वर्तमान में चल रही विधिक कार्यवाहियां, उनकी विवक्षाओं को दर्शित करते हुए घोषित की जानी है।

- (4) निजी और लोक उपक्रमों या निकायों द्वारा प्राप्त सभी सहायता और समर्थन घोषित किए जाने हैं, जहां वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष घनीय या सारवान हितों से सहबद्ध है और जिनका पैनल वैज्ञानिक समिति के विषय से संबंध है। इसमें पि्छले पांच वर्षों से अध्ययन या अनुसंधान, अध्येता वृत्तियों या प्रायोजनों के लिए अनुदान सम्मिलित है।
- (5) लोकहित समूहों, वृत्तिक सोसाइटियों, क्लबों और संगठनों में भाग लेना जिनकी कार्यसूची खाद्य प्राधिकरण के आदेश से सुसंगत हो सकती हो, घोषित की जानी है भूमिका और धारित पद को स्पष्ट रुप से दर्शित करना है।
- (6) निकटवर्ती कुटुंब के सदस्यों में पित/पत्नी या भागीदार और उसी गृहस्थी में रहने वाले आश्रित बालक हैं।
- (7) हितों की घोषणा करते समय सदस्य को खाद्य प्राधिकरण द्वारा संबोधित प्रश्नों से सुसंगत व्यक्तिगत रायों या विवाधकों के कथनों पर विचार करना चाहिए (उदाहरण स्वरूप प्रकाशन, लोक कथन) नियोजन या परिवार (उदाहरणस्वरूप स्दस्य के नियोजक, कारबार सहभागी या निकटतम पारिवारिक सदस्यों से उत्पन्न कोई अप्रत्यक्ष लाभ की संभावना या किसी दवाब की संभाव्यता)।
- (8) खाद्य प्राधिकरण यह मान्य करता है कि वैज्ञानिक दक्षता इसके आदेश और कार्यों को पूर्ण करने को मजबूती प्रदान करती है और ऐसी दक्षता की क्वालिटी पूर्व अनुभव पर अंतरनिहित रुप से आधारित है। घोषित हित को स्वतः ही हित का टकराव नहीं समझा जाता है। बौद्धिक प्रकृति के हित वैज्ञानिक कार्य की क्वालिटी और संपूर्ण संतुलित उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।
- (9) घोषित हितों के ब्यौरे को खाद्य प्राधिकरण द्वारा गोपनीय रखा जा सकेगा यदि इसका प्रकटन अंतर्विलत सदस्य के उद्देश्य और स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए आवश्यक न हो।

विनियम 20(2) देखें

<u>उपबंध - 3</u>

हितों की विशिष्ट घोषणा

(कृपया नोट करें कि पूर्व अनुभव के आधार पर प्रकृति द्वारा वैज्ञानिक दक्षता की उच्च क्वालिटी है और इसलिए हितबद्ध होने का अर्थ आवश्यक रुप से हितों का टकराव नहीं है)

नाम				
व्यवसाय				
खाद्य प्राधिकरण की बैठक				
केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक				
वैज्ञानिक समिति की बैठक				
पर पैनल की बैठक				
पर कार्यसमूह की बैठक				
बैठक की तारीखें				
. भ ० भग्या साराख				
स्थल				

क्रम सं.	कार्यसूची की मदें	क्या सदस्य हित का टकराव रखता है (हां/नहीं) यदि हां, तो अध्यक्ष को विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए विवरण दें।

घोषणा:	मैं घोषणा	करता हूं वि	के ऊपर दी	गई जानकारी	ासत्य और पृ	्रण है ं ।	
तारीख .			को			पर किया ग	या ।
	हस्ताक्षर						

अनुसूची 3

[विनियम 6 (1)(ii) देखिये]

वैज्ञानिक राय के लिए प्ररुप

वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनल/कीर्य समूह उनकी वैज्ञानिक राय निम्नलिखित प्ररुप में प्रस्तुत करेगें :

- शीर्षक: [खाद्य प्राधिकरण/ सरकार /सेल्फ टास्किंग] प्रार्थना सं.: [संदर्भ सं.] द्वारा अनुज्ञेय पर कृतिक पृच्छा [प्राधिकरण द्वारा उपबंधित पृच्छा का शीर्षक या संदर्भ की निबंधन अन्तःस्थापित करे] पर वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल या कार्य समूह [पैनल का नाम अंतःस्थापित करे] की राय।
- 2. **संक्षेप**: राय का एक संक्षिप्त संक्षेप होना चाहिए जो संदर्भ और निष्कर्ष की पृष्ठ भूमि, निबंधन प्रतिबिम्बित करती हो। निष्कर्ष यह स्पष्ट रुप से कथित करना चाहिए कि संबंध शर्तों के साथ उपयोग के स्तर पर कोई असुरक्षित स्थिति जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों की संभावयता लेकिन वैज्ञानिक अनिश्चितता या अत्यधिक व्यापक जोखिम निर्धारण के लिए और वैज्ञानिक सुचना की आवश्यकता बनी रहती है, भी है, का साक्ष्य है या नही।
- 3. पृष्ठभूमी और संदर्भ की निबंधनें : खाद्य प्राधिकरण या किसी अन्य पणधारी द्वारा यथा उपबंधित।
- 4. विस्तृत निर्धारण : वास्तविक जोखिम निर्धारण खंड कि कैसे सूचना मूल्याकिंत की गई और किस विवाधक को राय के लिए मूल – सुसंगत माना गया।
- 5. विनियामक समाधान विश्लेषण : साधारणतः या विनिर्दिष्ट खंड में यथा परिलक्षित जनसमुदाय के स्वास्थ्य में कमी से संबंधित परिमेय निर्गम
- 6. निष्कर्ष और सिफारिशें
- 7. अल्पसंख्यक राय (रायों) पर कथन, (यदि कोई हो)
- 8. प्रलेखीकरण: संदर्भों और प्रलेखीकरण की सूची जिस पर राय आधारित है।
- 9. **अभिस्वीकृति :** यदि लागू हो, कार्य समूहों या बाह्य विशेषज्ञों जिन्होने प्ररुप राय तैयार की है (या उसमें योगदान दिया है) के नामों के साथ अभिस्वीकृति ।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./90]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा.स. 1-61/एफएसएसए/2009 डीएफक्यूसी, तारीख 4.3.2011 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2016

F.No. F.1-63/FSSAI/Tr. Business SC and SP/Reg/2015.— The following draft of certain regulations which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make in supersession of the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure of Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) and clause (d) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (4) of section 15 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified will be considered by the Food Authority;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002.

Draft Regulation

- 1. **Short title and commencement**. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,
 - a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);
 - b) "Chairperson" means the Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel as the context may provide for;
 - "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Food Authority appointed under section 9 of the Act;
 - d) "Food Authority" means Food Safety and Standards Authority of India established under section 4 of the Act;
 - e) "Invitee" means a subject matter expert, who may be invited to share his knowledge on the subject and ceases to continue his association with the Scientific Committee or Scientific Panel on completion of the limited purpose of such invitation;
 - f) "member" means a member of the Scientific Committee or Scientific Panel and includes the Chairperson;
 - g) "Scientific Committee" means the Scientific Committee constituted by the Food Authority under section 14 of the Act;
 - h) "Scientific Opinion" means a scientific output based on the risk assessment given by the Scientific Committee or Scientific Panel;
 - "Scientific Panel" means the Scientific Panel established by the Food Authority under section 13 of the Act;
 - j) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations.
 - (2) Words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Appointment of members of the Scientific Committee and the Scientific Panels and their term of office. (1) The Food Authority shall ensure high level of collective scientific competence and expertise while appointing Members of the Scientific Committee and the Scientific Panels so as to ensure that the constitution of the Committee or the Panels reflects the diversity of scientific problems and approaches in India in order to fulfill the mandate of such scientific expertise.

- (2) The term of the Scientific Committee and the Scientific Panel shall be for a period of three years from the date of notification of their constitution.
- (3) No member shall be appointed to the same Panel for more than two consecutive terms.
- (4) The term of office of a member appointed on the Scientific Committee or a Scientific Panel on a date after its notification but before the expiry of the term, such member shall continue to remain the member of such committee or panel for the reminder of the term. Subject to sub-regulation (3), he shall be eligible for re-appointment for the fresh term in order to maintain continuity.
- (5) Each Scientific Panel shall comprise of as many members as required but the total strength of a Panel shall not exceed eleven.
- **4. Working Groups.-** (1) The Scientific Committee may constitute working groups consisting of members of the Scientific Committee or Scientific Panels and also include therein such number of external experts, particularly, in the case of subjects which do not fall within the competence of any of the Scientific Panel or on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one Scientific Panel. Such a working group shall be constituted on the recommendations of the Chairperson of the Scientific Committee with the approval of the Chief Executive Officer:

Provided that the Scientific Committee shall also nominate or appoint the Chairperson of the working group:

Provided further that the number of external experts in a working group shall not exceed fifty percent of the total members of the working group.

- (2) The Scientific Committee shall entrust working groups with tasks which are clearly defined through their terms of rreference, including the time-frame within which such tasks are to be accomplished.
- (3) The Scientific Committee shall coordinate the functioning of working groups and ensure that the tasks assigned are completed within a specified time-frame.
- (4) Working groups shall report to the Scientific Committee and shall be chaired by a member of the Scientific Committee or scientific panel.
- (5) The Working Group shall cease to function on completion of the task for which it was constituted.
- **5. External Experts.-** The Scientific Committee or the Scientific Panel may invite external experts possessing relevant scientific knowledge for an identified task, issue or agenda item and the Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel may identify external experts from the list or pool of experts maintained in the Food Authority or after carrying out a search in consultation with other members for the required competence.
- **Rapporteurs.** (1) The Scientific Committee or Scientific Panels or working Groups shall designate a rapporteur from among their members with the approval of Chairperson of the Committee or Panel or working group who shall prepare within the specific time period, the following namely:-
 - (i) record the outcome of the discussion on the technical agenda; and
 - (ii) scientific opinion thereof in the format given in **Schedule-III**.
 - (2) The work of the rapporteur will be terminated as soon as the Scientific Committee or Scientific Panel adopts the report or the opinion.
- **7. Delegation of responsibilities.** The Scientific Committee and each of the Scientific Panels shall elect or choose a Chairperson from amongst themselves. If the Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel is not in a position to discharge the functions, such Chairperson may be replaced by another member by consensus, who shall thereafter perform the functions of the Chairperson of such Scientific Committee or Scientific Panel.
- **8. Requests for Scientific Opinion .-** (1) The Chief Executive Officer shall make requests for scientific opinion to the Scientific Committee or Scientific Panel in the following manner, namely:-
 - (i) for tasks on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one panel and on issues which do not fall within the competence of any of the Scientific Panels, to the Scientific Committee;
 - (ii) for tasks mandated to an existing or new Scientific panels constituted from time to time by the Food Authority.
- (2) The Scientific Committee may also be requested to provide guidance on procedures, methodologies and such matters that provide harmonized approach and consistency in the scientific outputs of scientific panels.
- 9. Meetings of the Scientific Committee or Scientific Panel. (1) Depending upon the number of tasks identified, the Scientific Committee and Scientific Panels shall plan a schedule of their meetings for the ensuing calendar year in consultation with their respective Chairpersons.

- (2) Unless a meeting of the Scientific Committee or the Scientific Panel is scheduled at the time of previous meeting itself, then, fifteen days notice for a meeting of the Committee or the Panel shall be given to the members before the date of the meeting.
- (3) The notice for cancellation of a meeting, whether scheduled in advance or otherwise, shall be given at least five working days before the date of the meeting.
- (4) In case of urgency, meetings of the Scientific Committee or Scientific Panels may be called at shorter notices with the prior approval of the Chairperson concerned.
- **10. Approach to work and prioritisation.**-The Scientific Committee and Scientific Panels in the meeting at the first instance shall identify the tasks involved on any particular agenda and assign the tasks among various members individually or in groups, with timelines for completion of such tasks and these tasks shall include relevant research, published studies or literature, related to the available scientific evidence for the risk assessment required for the identified and assigned tasks and the scientific opinion thereof.
- (2) As provided in the Act, the Scientific Committee or Scientific Panel shall afford an opportunity of scientific presentations to the representatives of concerned industry and consumer groups in one of its initial meetings and take the scientific literature submitted by them on record for consultaion in forming its opinion and such representatives can not influence the decision making process of the Committee or the Panel.
- **Quorum and Consensus.-** (1) No business shall be transacted at a meeting of the Scientific Committee or Scientific Panel or working group unless at least one third of its members are present including the Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel. In case the Chairperson is not able to remain present at a meeting so convened for any reason, whatsoever, the members present may elect one from amongst themselves to be the Chairperson for that particular meeting and transact the business.
- (2) If at any time the number of members present at a meeting is less than the quorum as specified in sub-regulation (1), the person presiding shall adjourn the meeting after informing the members of the date, time and place of the adjourned meeting and it shall thereupon be lawful for the person presiding at such adjourned meeting to dispose of the business intended to be transacted at the original meeting, irrespective of the number of members present.
- (3) The Scientific Committee and Scientific Panels shall adopt opinions by a majority if a consensus cannot be reached on any issue. However, the difference of opinion shall be duly recorded.
- **12. Agenda.** (1) The draft agenda of the meetings of the Scientific Committee or Scientific Panels shall be drawn up by the Secretariat and shall be circulated to members at least ten working days before the meeting.
- (2) The agenda shall be prioritised and adopted at the beginning of the meeting and no business, which is not included in the agenda, shall be transacted at a meeting of the Scientific Committee or Scientific Panel, except with the permission of the Chairperson.
- (3) Any related urgent questions or issues may be identified and included to the agenda at any time with the permission of the Chairperson before the end of the meeting, and the agenda shall be deemed to be modified to that extent and carried over to deliberations.
- (4) Wherever possible documents including reports and draft opinions prepared by a rapporteur or external expert, shall be made available to the members and external experts one week before the meeting.
- (5) Time-limits for the delivery of scientific opinions shall be decided by the Chairperson.
- (6) The Chairperson of the Scientific Committee, Scientific Panels or working groups shall make special efforts to encourage the electronic mode as the primary working mode among members, through exchange of emails relating to agenda, circulation of documents, consensus building on matters relating to the tasks assigned and such exchanges shall be valid for the purpose of records of transactions.
- **Emerging issues**. (1) The Scientific Committee or Scientific Panels may draw the attention of the Chief Executive Officer to any specific or emerging issue falling within its jurisdiction which it considers can pose an imminent or potential risk to consumer health.
- (2) The Chief Executive Officer shall determine the action to be taken including, if required, making a request for a scientific opinion or report on the matter. In any event, the Scientific Committee and the Scientific Panel shall be apprised of the decision taken in the matter.
- (3) In cases where a scientific opinion has been tendered by the Scientific Committee or Scientific Panel, which may comprise any unintended or inadvertent ommissions, and which come to the notice of any member of the Scientific Committee or Scientific Panel at any stage before it is given final effect, the member concerned shall communicate his observations thereon to the Chief Executive Officer, who shall in turn refer the matter to the Scientific Committee or the concerned Scientific Panel for its reconsideration and resolution.

- **14.** Access to meetings including technical hearings. (1) Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel may authorise officers or representatives of the office of the Food Authority to be present in the meetings. If invited to do so, they may assist for the purpose of clarification or information but shall not seek to influence the decisions.
- (2) The Scientific Committee or Scientific Panel may organise scientific hearings with individuals, petitioners or other stakeholder representatives, if considered necessary for the completion of a scientific opinion in the following manner, namely.-
 - (i) hearings shall be clearly indicated in the draft agenda or minutes of the meetings in which such hearings take place; and
 - (ii) the Scientific Committee or Scientific Panel shall not take any decisions during such hearings.
- **15. Business by circulation.-** (1) In the event, where the matter is urgent and where circumstances do not permit or necessitate discussion at a meeting, or if the Chairperson of the Scientific Committee or as the case may be, Scientific Panel so directs, a draft opinion or a statement may be referred to its members by circulation of papers, electronically or physically.
- (2) Any proposal or draft opinion or statement circulated under sub-regulation (1), on being approved by one-third of the members of the Scientific Committee or Scientific Panel, as the case may be, shall have effect and binding as if such proposal or draft opinion or statement were decided by the majority of members at the meeting.
- (3) If the proposal or draft opinion or statement is not approved as specified in sub-regulation (2), the same shall be placed on the agenda for the next meeting of the Scientific Committee or Scientific Panel.
- (4) Each proposal or draft opinion or statement circulated under this regulation and the result of such circulation shall be included in the minutes of the following meeting.
- **16.** Accelerated Procedures.- (1) In this case the response may take the form of a statement or opinion by the Food Authority adopted either by the Scientific Committee or the relevant Scientific Panel, the development and adoption of the statement or opinion shall be undertaken by the Scientific Committee or the Scientific Panel, as the case may be, as far as possible in accordance with the terms of reference, under the directions of the Chief Executive Officer and taking into account the limited time allocated for the response to the query.
- (2) The Chairperson of the Scientific Committee or the Scientific Panel, as the case may be, shall be informed of the query and the process and the experts from the Scientific Panels or Scientific Committee or any external experts may be consulted before finalising the statement under sub-regulation (1).
- **17. Adoption of scientific opinions.** (1) The Scientific Committee and Scientific Panels shall adopt the scientific opinions at their plenary meetings or the procedures specified in regulation 16 or regulation 17.
- (2) The Scientific Committee or Scientific Panel may adopt a prelimnary opinion to be published on the Food Authority's website inviting scientific comments and suggestions within a period specified therein and shall take into consideration the comments received in forming its final opinion.
- (3) The opinions of the Scientific Committee and Scientific Panels may include any minority opinion.
- **18. Secretariat of the Scientific Committee and the Scientific Panels** .- (1) In pursuance clause (d) of Section 10 of the Act, the office of the Food Authority shall be responsible for providing necessary support to facilitate the efficient functioning of the Scientific Committee and the Scientific Panels. Specific duties of the Secretariat shall include but not limited to the following, namely:-
 - (i) Ensure best use of the Food Authority's resources and plan to meet priorities and time-lines;
 - (ii) Provide information on the legislation or policy aspects of queries or scientific opinions;
 - (iii) Prepare the draft agenda including background information and minutes of the meetings for the Scientific Committee, Scientific Panels or working groups, in consultation with respective Chairperson;
 - (iv) The minutes of the meeting shall include:
 - (a) list of participants; and
 - (b) record of decisions taken and opinions adopted.
- (2) The minutes may be posted on the Food Authority's website after their adoption.
- **19. Confidentiality.-**(1) The members of the Scientific Committee, the Scientific Panels and the working groups and the external experts participating in the working groups, or acting as observers, shall not divulge to third parties any information, specifically, identified by the Food Authority as 'restricted or confidential.
 - (2) Members of the Scientific Committee or Scientific Panels or working groups and external experts participating

in the working groups or acting as observers, shall sign a declaration of confidentiality as specified in **Schedule-I**.

- (3) The members of the Scientific Committee, the Scientific Panels and working groups and external experts participating in the working groups, or acting as observers, even after their duties have ceased, shall not disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy.
- **20. Independence.** (1) The members of the Scientific Committee, the Scientific Panels and working groups and external experts shall undertake to act independently of any external influence by making a Declaration of Commitment as provided in **Annexure-I of Schedule-II** and an Annual Declaration of Interests in **Annexure-II** of **Schedule-II**, indicating either the absence of any interests which might be considered prejudicial to their independence or any direct or indirect interests which might be considered prejudicial to their independence.
 - (2) The members of the Scientific Committee, Scientific Panels and working groups and external experts at each meeting shall make a Specific Declaration of Interests as provided in **Annexure-3 of Schedule-II** which might be considered prejudicial to their independence in relation to the items on the agenda.
- **21. Replacement.** A member of the Scientific Committee or Scientific Panel may be removed or replaced by the Food Authority, on a proposal submitted by the Chief Executive Officer, for not contributing effectively to the work of the Scientific Committee, Scientific Panels or working groups or for absence from three consecutive meetings, or for actions which are in conflict with the Food Authority's interests or terms and conditions. If a member wishes to resign, the Food Authority, acting on a proposal by the Chief Executive Officer, may appoint a replacement from the reserve list, if any maintained by the Food Authority.
- **22. Conferences.**-In their quest for obtaining scientific opinions on a subject, the Chairperson of the Scientific Committee or Scientific Panel may submit a proposal for organising a conference on a topical issue or subject, along with the budget therefor to the Chief Executive Officer, who may, in turn, approve such a proposal with a maximum budget upto fifteen Lakh rupees. However, this amount may be reviewed by the Authority from time to time.
- **23. Reimbursement of expenses and sitting fees. -** (1) Travel and subsistence expenses incurred by members or external experts or rapporteurs in connection with meetings relating to the Scientific Committee, Panels, working groups or external experts shall be reimbursed by the Food Authority in accordance with these regulations.
 - (2) Members of the Scientific Committee, Scientific Panels, working groups or external experts shall be paid a sitting fee of Rs. four thousand rupees for each day or part thereof for attending a meeting and the sitting fee may be reviewed by the Food Authority after every two years.
 - (3) The rapporteur member of the Scientific Committee or the Scientific Panel or the working group shall be paid an additional honorarium of two thousand rupees for discharging the duties as a rapporteur for each day or part thereof for meeting attendance.

Schedule-I [See regulation 19 (2)] Declaration of Confidentiality

Name:	
Position:] Member of the Food Authority	
] Member of the Central Advisory Committee	
] Member of the Scientific Committee	
] Member of a Panel on	
] Member of a Working Group on	
l other expert (external) on	

I hereby declare that I am aware of my obligation to respect confidentiality. I know that I am obliged not to divulge information acquired as a result of my activities in Food Safety and Standards Authority, if the information is subject to a request for confidentiality and I hereby undertake not to divulge any such confidential information. I shall also respect

the co	onfidential nature of the opinions ex	pressed by other Me	embers of the bodies indicated above	e or other experts during
discu	ssions in meetings or provided in wr	ritten form.		
Done	e at: oi	n	Signature	
		a		
		Schedu [See regulate		
				Annexure-1
		Declaration of	Commitment	
Nam				
<i>nam</i>	e:			
Posit	ion:			
	ember of the Food Authority			
[] M	ember of the Central Advisory Com	mittee		
[] M	ember of the Scientific Committee			
[] M	ember of the Scientific Panel on			
[] M	ember of a Working Group on			
[]Ex	xpert (external) on		_	
	ant to Section 4 of the Food Safety		•	•
	dia, I hereby undertake to make all re			
and to	o act independently and in public int	erest, without being	influenced by any external influence	e.
Done	e at:	on	Signotura	
Done	o di	011	Signature.	
		Schedu	الــ مار	
		(See regulat		
		Annual Declarat	ion of Interests	Annexure-2
	use note that high quality of scientif			ıd, therefore, having an
	est does not necessarily mean having	, ,	rt)	
Posit	ion:			
[]	Member of the Food Authority	Committee		
[]	Member of the Central Advisory Member of the Scientific Comm			
[]	Member of a Scientific Panel on			
[]	Member of a Working Group on			
[]	Other expert (external) on			

Infor	mation on direct or indirect interests of relevance to the mandate of the Authority:-
(1)	Direct interests (financial benefits arising from, for example, employment, contract work, investments, fees etc.)
(2)	Indirect interests (indirect financial, e.g., grants, sponsorships, or other kind of benefits):
(3)	Interests deriving from the professional activities of the Member and his/her close family Members:
(4)	Any membership role or affiliation in organizations/bodies/club with an interest in the working of the Authority:
(5)	Other interests or facts that the undersigned considers pertinent:
	ration: I declare that the information provided above is true and complete.
Done	at: on: Signature: (Please attach additional sheets whenever required)
	rejease anach additional sneets whenevel rediffed

Guidelines for Annual Declaration of Interest

- (1) Any financial interests or benefits, including holding of stocks and shares, equity, bonds, partnership or property interests relevant to the Food Authority's mandate. Financial interests connected with a pension or investment scheme contracted prior to membership or interests in unit trusts or similar arrangements would not, in principle, be of particular interest, providing that the member has no influence on financial management.
- (2) Professional experience in the last five years in a field relevant to the Food Authority's mandate. This should include all work, irrespective of whether the activities have been subject to regular or occasional remuneration (Board membership, executive or non-executive directorship, employment, consultancy, contractual interests, and traineeship).
- (3) Interests the member may have had in the past or ongoing legal proceedings relevant to the Food Authority's mandate, with an indication of their implications, are to be declared.
- (4) All assistance and support received by private and public undertakings or bodies are to be declared, where they are associated with direct or indirect pecuniary or material benefit and which have a bearing on the topic of the Scientific Committee or Scientific Panel. These include grants for study or research, fellowships or sponsorships for the last five years.
- (5) Participation in public interest groups, professional societies, clubs and organisations which may have an agenda relevant to the Food Authority's mandate is to be declared. The role and position held is to be set out clearly.
- (6) Close family member includes spouse or partner and dependent children living in the same household.
- (7) When declaring interests, member should consider statements of personal opinion on issues relevant to the questions addressed by the Food Authority (e.g., Publications, public statements); employment or family (e.g. the possibility of any indirect advantage or any likelihood of pressure could arise from the member's employer, business associates or immediate family members).
- (8) The Food Authority recognises that scientific expertise underpins the fulfillment of its mandate and tasks and that the quality of such expertise is inherently based on prior experience. An "interest" declared is not automatically considered to be a conflict of interest. Interests of an intellectual nature are considered as indispensable to safeguard the quality and overall balanced objectivity of the scientific work.

(9) The details of interests declared may be kept confidential by the Food Authority unless its disclosure is necessary to establish objectivity and independence of the member involved.

[See regulation 20(2)]

Annexure-3

Specific Declaration of Interests

(Please note that high quality of scientific expertise is by nature based on prior experience and that therefore having an

interest do	es not r	necessarily mean having a conflict of interest)	
Name: Profession	ı:		
Meeting of	f the Fo	ood Authority	
		entral Advisory committee	
		ientific Committee	
		on	
Meeting of	f the W	orking Group on	
Meeting d	ates		
Venue			
Sr. No.	Agen	da Items	Whether the member has a conflict of interest. (YES/ No)
			If yes, please provide details to enable the chair to take a decision.
Declaratio	n:	I declare that the information provided above is tr	we and complete.
Done at: _		on	Signature:

Schedule – III [See regulation 6(1)(ii)] **Format for Scientific Opinion**

The Scientific Committee/ Scientific Panels/ working group shall submit its scientific opinion in the following format:

- Title: Opinion of the Scientific Committee, Scientific Panel or working group [insert name of Panel] on the task 1. query [insert title of query or term of reference provided by Authority] on a submission by [Food Authority/Government/Self Tasking] Request No: [Reference No]
- 2. Summary: It should be a brief [1-2pages] summary of the opinion, reflecting the background, terms of reference and conclusions. The conclusions should clearly state whether there is any evidence of an unsafe condition or none at the level of use along with conditions attached including the possibility of harmful effects on health but scientific uncertainty persists or the need for further scientific information for a more comprehensive risk assessment.

- 3. **Background and Terms of Reference:** as provided by the Food Authority or any other stakeholder.
- 4. **Detailed Assessment:** The actual risk assessment section on how the information was evaluated and which issues were considered of key relevance for the opinion.
- 5. **Regulatory Impact Analysis:** Measurable outputs relating to mitigation of health of the population in general or specific segments as identified.
- 6. Conclusions and recommendations
- 7. Statement on minority opinion(s), (if any)
- 8. **Documentation**: A list of the references and documentation on which the opinion is based.
- 9. **Acknowledgement:** If applicable, an acknowledgement with the names of the working group or external experts who prepared (or made contributions to) the draft opinion.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./90]

Note: The principal regulations were published in the gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F.No.1-61/FSSAI/2009-DFQC, dated 04.03.2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.